193

संख्या- 226/एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा, बलरामपुर, बागपत, बाराबंकी, फिरोजाबाद, कुशीनगर, सुलतानपुर, मऊ, देवरिया, चित्रकूट, बदायूं, कासगंज, आजमगढ़, सम्भल, गौतमबुद्ध नगर, आगरा एवं वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 14 फरवरी, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा /अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी/(2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा **बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि**, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी(2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्यअधिसूचना सं जीव द्वव्द्ध एवं-0-387/एक-11-2021-4(जी/(2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं/586 0एक2015/(जी) 4-2022-11-, दिनांक के आघात (नीलगाय) द्वारा सांड एवं वनरोज 13.10.2022 से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में **बेमौसम भारी वर्षा / अतिवृष्टि** से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों /परिवारों को राहतप्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन/ **रू0 4,45,00,000/- (रूपये चार करोड़ पैंतालिस लाख मात्र**) की धनराशि निम्न तालिका के कालम -2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कालम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	अमरोहा	20.00
2	बलरामपुर	30.00
3	बागपत	20.00
4	बाराबंकी	35.00
5	फिरोजाबाद	25.00
6	कुशीनगर	45.00
7	सुलतानपुर	35.00
8	मऊ	25.00
9	देवरिया	30.00
10	चित्रकूट	25.00
11	बदायूं	25.00

12	कासगंज	25.00
13	आजमगढ़	25.00
14	सम्भल	20.00
15	गौतमबुद्ध नगर	20.00
16	आगरा	20.00
17	वाराणसी	20.00
	योग	445.00
(रूपये चार करोड़ पैतालिस लाख मात्र)		

नियम व शर्तेप्रतिबन्धों/

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त्/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार सेसीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमत: समायोजन किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1(Vol-II)] दिनांक 10.10.2022, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष/2022-23 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जाये तथा माह के अंत में- जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगसमर्पण के संबंध में शासनादेश सं/0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचतअवशेष की / दिनांक/स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 4,45,00,000/- (रूपये चार करोड़ पैंतालिस लाख मात्र**) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या - 226(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/02/2024

प्रेषण संख्या:- 226
आवंटन आदेश संख्या:- 002-226
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 25300000	2000000 25300000
2	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 32500000	2500000 32500000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 26700000	2000000 26700000
4	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 31500000	2500000 31500000
5	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 19000000	3000000 19000000
6	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 32500000	3500000 32500000
7	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 48500000	3500000 48500000
8	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 10600000	2500000 10600000
9	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 19000000	2500000 19000000
10	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 22500000	4500000 22500000
11	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 30000000	2000000 30000000
12	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 11500000	3000000 11500000
13	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 5000000	2000000 5000000
14	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 8000000	2000000 8000000
15	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 27500000	2500000 27500000
16	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 20000000	2500000 20000000
17	सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 12500000	2000000 12500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	44500000 382600000	44500000 382600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन